न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 409/2018

1. भौमा पुत्र स्व. श्री मोहरिया, जाति जाट, निवासीः ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. नानचीया उर्फ जगदीश उर्फ नाथू सिंह पुत्र स्व. श्री मोहरिया, जाति जाट, निवासीः ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. नाथू उर्फ नाथू सिंह पुत्र स्व. श्री कल्याण जाति जाट, निवासीः प्लॉट नंबर 04, गोपाल नगर, डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर।
2. सुरेन्द्र पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश जाति जाट, निवासीः प्लॉट नंबर 25, डॉक्टर्स कॉलोनी, डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर।
3. घनश्याम पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश जाति जाट, निवासीः प्लॉट नंबर 25, डॉक्टर्स कॉलोनी, डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर।
4. रेखा देवी पुत्री स्व. श्री ओमप्रकाश जाति जाट, निवासीः प्लॉट नंबर 25, डॉक्टर्स कॉलोनी, डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर।
5. संगीता देवी पुत्री स्व. श्री ओमप्रकाश जाति जाट, निवासीः प्लॉट नंबर 25, डॉक्टर्स कॉलोनी, डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर।
6. विमला देवी बेवा स्व. श्री ओमप्रकाश जाति जाट, निवासीः प्लॉट नंबर 25, डॉक्टर्स कॉलोनी, डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर।
7. ग्यारसी लाल पुत्र स्व. श्री लालाराम जाति जाट, निवासीः प्लॉट नंबर 69, विकास नगर–सी, हीरापुरा पावर हाउस के पीछे, अजमेर रोड, जयपुर।
8. भवानी शंकर पुत्र स्व. श्री लालाराम जाति जाट, निवासीः प्लॉट नंबर 69, विकास नगर–सी, हीरापुरा पावर हाउस के पीछे, अजमेर रोड, जयपुर।
9. पप्पूराम उर्फ रविप्रकाश पुत्र स्व. श्री लालाराम जाति जाट, निवासीः प्लॉट नंबर 69, विकास नगर–सी, हीरापुरा पावर हाउस के पीछे, अजमेर रोड, जयपुर।
10. रामनारायण पुत्र स्व. श्री चन्दा जाति जाट, निवासीः प्लॉट नंबर 120, मरूधर नगर, डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर।
11. मंगल चन्द उर्फ मंगलाराम पुत्र स्व. श्री चन्दा जाति जाट, निवासीः प्लॉट नंबर 120, मरूधर नगर, डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर।
12. मनफूली देवी पत्नि स्व. श्री शिवशंकर जाति जाट, निवासीः प्लॉट नंबर 66, हीरा नगर, डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर।
13. अशोक पुत्र स्व. श्री शिवशंकर जाति जाट, निवासीः प्लॉट नंबर 66, हीरा नगर, डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर।
14. मंजू पुत्री स्व. श्री शिवशंकर जाति जाट, निवासीः प्लॉट नंबर 66, हीरा नगर, डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
16. जरिये शाखा प्रबंधक यूको बैंक, शाखा बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अपील विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.08.2015 न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय जयपुर वाद संख्या 10/2014 उनवानी नाथू बनाम भौमा अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री राजकुमार चौधरी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री दिनेश कुमावत एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स
श्री जी.एल. मीना एडवोकेट
राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांकः 09.12.2019

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट्स की ओर से एक अपील न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय जयपुर के वाद संख्या 10/2014 बउनवानी नाथू बनाम भौमा में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 07.08.2015 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा पटवार क्षेत्र रामपुराऊंती भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगरूकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि हाल जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 107 के खसरा नंबर 141 रकबा 3.73 हैक्टेयर, खसरा नंबर 207 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 211 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नंबर 214 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 215 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 234 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नंबर 489 रकबा 1.37 हैक्टेयर, खसरा नंबर 490 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 632/728 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 647 रकबा 0.68 हैक्टेयर कुल किता 10 रकबा 7.59 हैक्टेयर व खाता संख्या 108 के खसरा नंबर 116/735 रकबा 0.04 हैक्टेयर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार वादीगण संख्या 1 लगायत 6 हिस्सा 1/4, वादी संख्या 7 लगायत 9 हिस्सा 1/4 व वादी संख्या 10 लगायत 14 हिस्सा 1/4 व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का हिस्सा 1/4 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की अविभाजित भूमि है जिसका आज दिन तक विधिक विभाजन नहीं हुआ है किन्तु कदीम से मनबट कर हिस्से अनुसार काबिज होकर निरन्तर काश्त करते आ रहे है तथा नियमानुसार सरकार को लगान अदा करते आ रहे है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त कब्जे काश्त की अविभाजित भूमि होने के कारण वादीगण अपने हिस्से के विशिष्ट भू–भाग पर अपनी इच्छानुसार इम्प्रूवमेन्ट नहीं कर पा रहा है। प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने पर आमादा रहते है तथा अनावश्यक विवाद करते है, इसलिये संयुक्त रूप से वादीगण का उक्त भूमि पर काश्त करना व उसका विकास करना कठिन हो गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रत्येक सहकाश्तकार को अपने हिस्से की भूमि को सुरक्षित रखने व संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि का विधिक विभाजन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

मीट्स एवं बाउण्ड्स व कब्जे के आधार पर करवा कर खाता व लगान पृथक करवाने का अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से संपर्क कर आये दिन अनाधिकृत कब्जे को रोकने के उद्देश्य से संपर्क कर वादग्रस्त भूमि का विधिक विभाजन सहमति के आधार पर कर खाते पृथक करवाने का अनुरोध किया जिस पर उन्होने स्पष्ट इंकार कर दिया एवं कहा कि हम तो हमारे हिस्से की कृषि भूमि पर कदीम से काबिज काश्त है, हमें किसी बंटवारे की आवश्यकता नहीं है तुम चाहो तो करवा लो। वादग्रस्त भूमि का सहमति के आधार पर बंटवारा करने से इंकार करने के कारण वादीगण द्वारा वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा कि वादीगण वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर खाता संख्या 107 के खसरा नंबर 141 रकबा 3.73 हैक्टेयर, खसरा नंबर 207 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 211 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नंबर 214 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 215 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 234 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नंबर 489 रकबा 1.37 हैक्टेयर, खसरा नंबर 490 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 632/728 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 647 रकबा 0.68 हैक्टेयर कुल किता 10 रकबा 7.59 हैक्टेयर व खाता संख्या 108 के खसरा नंबर 116/735 रकबा 0.04 हैक्टेयर में वादीगण के हिस्से 3/4 का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर वादीगण का खाता व लगान अलग से कायम किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि वादग्रस्त का अंतिम विभाजन होने के पश्चात, वादीगण की तन्हा हिस्से, खाते व कब्जे काश्त की भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त तथा उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप बाधा न स्वयं करे, न अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट तथा परिवारजन आदि से करवाये। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन अपने प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 07.08.2015 के द्वारा तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया कि वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कर, कुरैजात तैयार कर, कुरैजात शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत करे। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का मौका दिये अपीलान्ट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करते हुये निर्णय पारित किया हे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को न तो साक्ष्य के लिये मौका दिया गया न ही अपीलान्ट की सुनवाई की गई। वाद में बिना तनकीयात कायम किये ही प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित किया है जो गलत है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.08.2015 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 07.08.2015 विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अधिनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी

न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस तामील करवाये गये थे बावजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण के इस स्तर पर अपीलार्थी की यह आपत्ति विचारणीय नहीं है। अपीलार्थी ने मात्र प्रकरण मे देरी करने के उद्देश्य से अपील प्रस्तुत की है। इस कारण अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के विभाजन बाबत वाद प्रस्तुत किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.08.2015 को वाद प्राथमिक डिक्री किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि अपीलान्ट/प्रतिवादी की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता उपस्थित हुये। अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.06.2014 को जवाब का अवसर बंद कर दिया गया। प्रतिवादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा के लिये पुनः अवसर प्रदान किये जाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अपीलान्ट/प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा वादी के गवाहों से काफी तारीख पेशीयां व्यतीत होने के बावजूद भी वादी की जिरह हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात् दिनांक 07.08.2015 को वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया गया। प्रतिवादी/अपीलान्ट द्वारा प्राथमिक डिक्री के तथ्यों को छिपाते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2014 के विरूद्व राजस्व मंडल के समक्ष निगरानी याचिका संख्या 6223/2015 प्रस्तुत की गई जिसे राजस्व मंडल की एकलपीठ द्वारा दिनांक 16.10.2015 को प्रतिवादी/अपीलान्ट का जवाब 1000/– रूपये हर्जाने पर ग्रहण किये जाने का आदेश पारित किया गया किन्तु राजस्व मंडल के द्वारा पारित आदेश से पूर्व ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2015 को मूल वाद डिक्री किया जा चुका था। अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 07.08.2015 को अपास्त करवाये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2017 को खारिज फरमा दिया गया जिसके विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24.07.2017 को खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्व माननीय राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी संख्या 4684/2017 भी दिनांक 21.02.2018 को खारिज हो गई एवं माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा निगरानी याचिका खारिज करते हुये न्यायहित में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को कुरैजात रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र किया गया। माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपने निर्णय के विवेचन में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि दर्शित होना नहीं माना है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07.08.2015 को न्यायोचित बताया गया है। अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय दिनांक 21.02.2018 के विरूद्व कोई रिट याचिका या अपील प्रस्तुत नहीं होने से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पारित आदेश अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्राथमिक डिक्री के संदर्भ में अंतिम निर्णय है। न्यायालय हाजा के अपीलीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.02.2018 के माध्यम से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07.08.2015 को न्यायोचित बताया गया है। इस कारण न्यायालय हाजा को अपीलीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पारित आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई विधिक अधिकार नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय जयपुर का प्रारंभिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07.08.2015 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर